राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल याचिका संख्या 10847/2018

आरती सिसौदिया पुत्री श्री विक्रम सिंह सिसौदिया, उम्र लगभग 34 वर्ष, जाति राजपूत, 306, लक्ष्मी नगर, बांसवाड़ा (राजस्थान)।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।
2. जिला परिषद, बांसवाड़ा (राजस्थान) अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से।
3. खंड विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बांसवाड़ा (राजस्थान)।

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री विजय कुमार

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री ललित पारीक

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>निर्णय (मौखिक)</u>

<u>16/05/2024</u>

1. याचिकाकर्ता, एक युवा विधवा, जो सड़क दुर्घटना में अपने पति की असामयिक मृत्यु के कारण इस न्यायालय के समक्ष है, वह उचित निर्देश और/या प्रतिवादियों को एलडीसी के पद पर नियुक्ति देने के लिए रिट जारी करने की मांग कर रही है, जिसके लिए उसने वर्ष 2013 में आयोजित भर्ती अभियान के तहत प्रतिस्पर्धा की थी और सफल घोषित हुई थी।

2. संक्षेप में, याचिका में दिए गए प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं कि 24.01.2010 को अपने पति की मृत्यु के बाद, याचिकाकर्ता ने विधवा श्रेणी में एलडीसी के पद के लिए आवेदन किया, जिसके लिए विज्ञापन 2013 के अनुसार सीधी भर्ती की गई थी। वह चयन में सफल रही और 27.06.2013 के आदेश के अनुसार उसे पंचायत समिति, बांसवाड़ा आवंटित किया गया। इसके बाद, उसे ग्राम पंचायत लोधा में

तैनात किया गया और 03.07.2013 को उसने अपना कार्यभार संभाला। हालांकि, अचानक 08.08.2013 के कार्यालय आदेश के अनुसार उसकी सेवाएं अस्थायी रूप से समाप्त कर दी गईं, बशर्ते कि सिक्किम विश्वविद्यालय द्वारा जारी 11.01.2013 के कंप्यूटर डिप्लोमा (अनुलग्नक 1) में उसके प्रमाण पत्र का सत्यापन किया जाए।

2.1. वास्तव में, यह याचिकाकर्ता का इस न्यायालय के समक्ष दूसरा प्रयास है, क्योंकि उसने पहले एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 11059/2013 दाखिल करके संपर्क किया था, जिसमें दिनांक 06.09.2013 के अंतरिम आदेश के अनुसार, प्रतिवादियों को उसकी सेवाओं को समाप्त करने की स्वतंत्रता दी गई थी, केवल उसके कंप्यूटर डिप्लोमा प्रमाण पत्र के सत्यापन के संबंध में प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होने की स्थिति में।

2.2. इसके अनुसरण में, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों से संपर्क किया और उन्हें ड्यूटी में फिर से शामिल होने की अनुमति देने का अनुरोध किया। उसे वापस शामिल होने की अनुमति दी गई, जैसा कि दिनांक 09.09.2013 की जॉइनिंग रिपोर्ट (अनुलग्नक 6) से पता चलता है। इसके बाद, जैसा कि निस्कर्ष निकला, प्रतिवादियों ने उसके डिप्लोमा प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर इसे प्रतिकूल पाया और बिना किसी औपचारिक आदेश पारित किए 01.11.2013 को उसकी सेवाएं समाप्त कर दीं।

2.3. इसके साथ ही, उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 420 और 467 के तहत एफआईआर संख्या 4/2014 भी दर्ज की गई। एफआईआर के अनुसरण में, गहन जांच की गई और 29.03.2017 की क्लोजर रिपोर्ट के माध्यम से, जांच अधिकारी द्वारा यह सिफारिश की गई कि सिक्किम विश्वविद्यालय से याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत कंप्यूटर डिप्लोमा का प्रमाण पत्र वैध था। उक्त क्लोजर/नकारात्मक रिपोर्ट को सीजेएम, बांसवाड़ा की सक्षम अदालत ने 12.12.2015 के आदेश के तहत विधिवत स्वीकार कर लिया।

2.4. एफआईआर में क्लोजर रिपोर्ट और सीजेएम द्वारा पारित आदेश की प्रति के साथ, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों से संपर्क किया और 25.09.2017 को एक औपचारिक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उन्हें कर्तव्यों को फिर से शुरू करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया, क्योंकि उसे पहले एफआईआर के लंबित रहने के दौरान शामिल होने की अनुमति नहीं थी। हालाँकि, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए, याचिका।

3. जवाब में बचाव पक्ष यह है कि मेघालय/सिक्किम/मणिपुर से कम्प्यूटर डिप्लोमा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की सेवाएं अस्थायी रूप से समाप्त

कर दी गई हैं। इस बीच पंचायत समिति, बांसवाड़ा को संबंधित विश्वविद्यालय से डिप्लोमा प्रमाण-पत्र सत्यापित करने के लिए कहा गया है।

3.1 याचिकाकर्ता के एलडीसी पद पर पुनः कार्यभार ग्रहण करने के मामले पर विचार न करने का कारण सक्षम न्यायालय से दोषमुक्ति नहीं है। इसका कारण दिनांक 04.08.2017 (अनुलग्नक आर/1) के आदेश के कारण है, जिसके तहत ईस्टर्न इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड लर्निंग इन मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी, सिक्किम से कम्प्यूटर योग्यता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा अमान्य योग्यता रखने वाला माना गया था। इसलिए याचिकाकर्ता को एलडीसी पद पर पुनः कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसलिए यह याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वंद्वी तर्क सुने हैं और केस फाइल का अध्ययन किया है।

5. प्रतिवादियों के उत्तर में लिया गया बचाव और अन्य बातों के साथ-साथ तर्क यह है कि याचिकाकर्ता को कंप्यूटर डिप्लोमा में जाली योग्यता प्रमाण पत्र के मद्देनजर योग्यता का लाभ नहीं दिया जा सकता है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि प्रतिवादियों द्वारा उठाए गए उक्त बचाव तर्क को एक सक्षम आपराधिक अदालत के समक्ष कार्यवाही में निपटाया गया है और पूरी तरह से अविश्वास किया गया है और निष्कर्ष याचिकाकर्ता के पक्ष में गए हैं। यह माना गया कि कोई जालसाजी नहीं थी, लेकिन यह अंक '3' को '8' के रूप में पढ़ने की एक अनजाने में हुई गलती थी, जिसके कारण प्रमाण पत्र के जाली होने की प्रारंभिक धारणा हुई। विश्वविद्यालय अन्यथा एक मान्यता प्राप्त संस्थान है।

6. सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता को न केवल दोषमुक्त कर दिया गया है, बल्कि राज्य ने जालसाजी के उक्त आरोप के संबंध में बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं करने का भी फैसला किया है।

7. इसलिए मैं आपराधिक कार्यवाही के परिणाम को स्वीकार करने के लिए बाध्य हूं और मानता हूं कि याचिकाकर्ता को दिया गया कंप्यूटर डिप्लोमा प्रमाण पत्र वास्तविक है और इसका लाभ उसे दिया जाना चाहिए।

8. जहां तक राज्य सरकार द्वारा 04.08.2017 के आदेश के तहत सिक्किम के ईस्टर्न इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड लर्निंग इन मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द करने का सवाल है, यदि याचिकाकर्ता की सेवाएं वर्ष 2013 में प्रतिवादियों द्वारा समाप्त नहीं की गई थीं, तो इस पर पूर्वव्यापी कानूनी संज्ञान नहीं दिया जा सकता है।

9. कहने की जरूरत नहीं है कि चूंकि उस समय विश्वविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त थी, इसलिए याचिकाकर्ता सेवा में बने रहता। डिग्री के वैध रहने के दौरान प्राप्त कोई भी सेवा लाभ तब से क्रिस्टलीकृत हो गया होगा और बाद में मान्यता रद्द करने पर याचिकाकर्ता से उसे वापस नहीं लिया जा सकता था।

10. इस आधार पर, मुझे योग्यता प्रमाण पत्र को स्वीकार न करने का कोई कारण नहीं दिखता, जिसे एक सक्षम न्यायालय ने गहन परीक्षण के बाद वैध पाया था।

11. परिणामस्वरूप, याचिका स्वीकार की जाती है। दिनांक 08.08.2013 के आक्षेपित अस्थायी अस्वीकृति आदेश (अनुलग्नक 4) को अवैध माना जाता है और इसे रद्द किया जाता है। प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता को प्रश्नगत पद पर नियुक्ति देने का निर्देश दिया जाता है। चूंकि दिनांक 08.08.2013 के प्रशासनिक आदेश (अनुलग्नक 4) के तहत सक्षम आपराधिक न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही के परिणाम के अधीन सीट को रिक्त रखने का निर्णय लिया गया था, इसलिए उक्त रिक्ति का लाभ याचिकाकर्ता को दिया जाए।

12. याचिकाकर्ता को अस्थायी समाप्ति आदेश के बाद जिस अवधि के दौरान याचिकाकर्ता सेवा से बाहर रही, उसके समकक्षों को दी गई वरिष्ठता के साथ-साथ आभासी लाभ दिए जाएं, जिनके साथ याचिकाकर्ता ने उसी चयन प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा की थी।

13. इस आदेश के वेब-प्रिंट की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर आवश्यक कार्यवाही की जाए।

14. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।